26

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिंह हाडा

संख्या 29/13 तारीख रजू– 21/03/2013

पुत्र धनफूल जाति मीना निवासी खेडली तहसील गंगापरसिटी। ––अपीलार्थी

बनाम

पुत्र हीरा जाति बैरवा निवासी खेडली तहसील गंगापुरसिटी।
जरिये तहसीलदार,गंगापुरसिटी।

–––––– रेस्पो0

निर्णय **दिनांक–10/02/2016**

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, गंगापुरसिटी द्वारा मिसल संख्या 563/88 मे पारित आदेश दिनांक 15/03/2003 के विरूद्व की है जिसके द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ख्याली के नाम ग्राम खेडली के आराजी खसरा नम्बर 1510/1 हेक्टर, 1511 रकवा 0.19 हेक्टर, 1512 रकवा 0.22 हेक्टर, 1514/1 रकवा 0.25 हैक्टर मे से 0. भूमि के नाम खातेदारी मे दर्ज करने, नक्शा ट्रेस मे खसरा नम्बर 1514/1 मे नाले एवं रास्ते की हेक्टर की तरमीम पूर्व ओर की जाने व पटवारी हल्का को राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने पारित किये है को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 संख्या 1 जरिये अधिवक्ता हुए तथा रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने बहस अपील मे बताया कि तहसीलदार एवं पदेन सहायक भू–प्रबन्ध गंगापुरसिटी ने दिनांक 15/03/03 को जो निर्णय पारित किया है वह तथ्यो के विपरीत जाकर रेस्पो0 संख्या 1 ख्याली का आवंटित खसरा नम्बर पर कोई कब्जा काश्त नही रहा। न तो उसके खसरा नम्बर 468/2/1/2 रकवा 5 बीघा को कभी काश्त किया न ही उसका हाल खसरा 1510,1511,1512 एवं 1514 पर कोई कब्जा काश्त है केवल आवंटन होना ही पर्याप्त नही है। कब्जा भी होना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को गौर नही किया कि खसरा नम्बर नाला व रास्ता है जिसपर उसे खातेदारी नही दी जा सकती है। भूमि की किस्म रास्ता दर्ज है। अधिकारी ने अपने निर्णय 28/03/01 मे खसरा नम्बर 1514 मे 0.25 हेक्टर के इन्द्राज को का आदेश दिया था। उपखण्ड अधिकारी का तर्क उचित था। कब्जा नही होने से रेस्पो0 किसी खसरा नम्बर की खातेदारी पाने का अधिकारी नही है। यदि इस तर्क को नही भी माना खसरा नम्बर 1514 की खातेदारी देना सार्वजनिक हितो के विपरीत होगा। खसरा गिरदावरी ने यह खसरा रास्ते के रूप मे दर्ज है। मोके पर गिरदावरी मे रास्ता ही दर्शाया है कोई नही है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया

रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस मे बताया कि अपीलार्थी अपने पुत्र के जरिये रेस्पे0 संख्या 1 का कराने के लिए प्रार्थनापत्र पेश कर चुका है। उसका प्रार्थनापत्र राजस्व मण्डल से खारिज हो चुका है। अतः आवंटन आदेश यथावत रखा है तो तहसीलदार द्वारा किये गये इन्द्राजो को राजस्व मण्डल ने भी स्वीकार कर लिया है। अतः अब अपील मे नही रहा है। खसरा नम्बर 1514 मे तहसीलदार ने 0.20 हेक्टर की भूमि मे ही खातेदारी दर्ज दिया है जो उचित है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अदालत मातहत का रखा जावे।

जिला कलेक्टर
माधोपुर

वगा

विद्वान अभिभाषको के तर्को को गोर किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन [illegible]नस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के आवेदन पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली थी। पटवारी [illegible]नी रिपोर्ट मे साविक खसरा नम्बर 568/2 के 1510 रकवा 0.41 हेक्टर, 1511 के 0.19 हेक्टर, [illegible]22 हेक्टर व 1514 के 0.25 हेक्टर दर्ज करने की अनुशंषा की तथा मोके पर कब्जा रेस्पो0 [illegible] होना बताया है। तहसीलदार ने रास्ते के तथ्य को गोर करके खसरा नम्बर 1514/1 मे से [illegible] हेक्टर भूमि रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है रास्ता पगडण्डी के लिये 0. [illegible] भूमि छोड़दी है। इस प्रकार तहसीलदार ने सम्पूर्ण प्रकरण पर विचार किया है। खसरा नम्बर [illegible] कुल रकवा 0.63 हेक्टर जो साविक खसरा नम्बर 468/2, 469,463 से बना है। अतः साविक [illegible] 468/2 का रकवा हाल खसरा नम्बर 1514 मे शामिल होना जाहिर है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पो0 [illegible]वंटन को निरस्त कराने के लिए आवंटन नियम 14(4) के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया था जो [illegible] द्वारा अपील संख्या 122/2001 सवाईमाधोपुर निर्णय दिनांक 17/09/04 द्वारा खारिज की [illegible]। रेस्पो0 संख्या 1 का आवंटन बहाल रहा है। अतः अपीलार्थी का रेस्पो0 संख्या 1 का कब्जा [illegible] होने का तर्क पर विवेचन होकर राजस्व मण्डल से निर्णय हो चुका है। रेस्पो0 अधिवक्ता ने जो [illegible] किये है वे उचित है।

[illegible] उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अदालत मातहत का [illegible] निर्णय यकावत रखा जाता है।

[illegible] आज दिनांक 10/02/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर